

कार्यालय अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

टैगोर छात्रावास, क्रमांक टी-2, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश-462002
☎ 0755-2660441 ✉ dtehelpcenter@mponline.gov.in | dte4.academic@mp.gov.in

क्रमांक:-4/शैक्ष./बी/2019/काउं./ 983,

भोपाल, दिनांक 11 / 07 / 2019

प्रति,

सचिव/ संचालक/ प्राचार्य

1. लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस (आरआईटी), इंदौर (एमबीए)
2. महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्वालियर (एमबीए)

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए ए.एफ.आर.सी. से निर्धारित फीस उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप काउंसलिंग प्रक्रिया से पृथक किये जाने के संबंध में।

आपको सूचित किया जाता है कि एमबीए पाठ्यक्रम के लिए सत्र 2019-20 की काउंसलिंग हेतु आपके द्वारा फीस निर्धारण आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अध्यक्ष काउंसलिंग समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार आपकी संस्था को सत्र 2019-20 के लिए तत्काल काउंसलिंग प्रक्रिया से पृथक किया जाता है।

आपके द्वारा ए.एफ.आर.सी. से फीस निर्धारण उपरांत जानकारी उपलब्ध कराने पर तत्समय संचालित चरण की काउंसलिंग में संस्था को शामिल किया जावेगा।

[प्रो. (डॉ.) वीरेन्द्र कुमार]
संचालक तकनीकी शिक्षा,

मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्र. 4/शैक्ष./बी/2019/काउं./
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक / 07 / 2019

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, टैगोर छात्रावास क्रमांक टी-2 श्यामला हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

[प्रो. (डॉ.) वीरेन्द्र कुमार]
संचालक तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश